APP – A
Crim-I

FORM NO – III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

.....छोटू शाह वगैरहा..... **बनाम** ..... सरकार .....

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या ..... 34 / 14.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमाक जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये हो।
28-05-2018	पत्रावली 'न्याय आपके द्वार, 2018 अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आयोजित राजस्व लोक अदालत – कैम्प कोर्ट में आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। प्रकरण के निस्तारण के उद्देश्य से हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपना मूल वाद मय इस प्रार्थना पत्र के पेश किया गया था, जो न्यायालय में दिनांक 21.05.2014 को दर्ज हुआ। राजस्व न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु वादी की ओर से वादपत्र मय दस्तावेज पेश किया जाता है। इसके निर्णय में विलम्ब की संभावना को देखते हुये दावे के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पेश किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र तत्काल राहत हेतु पेश किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी माफी दरगाह दर्ज थी जिस पर वादीगण के पूर्वज कृषक अथवा उपकृषक के रूप में काबिज थे। प्रतिवादी क्रम 2, विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार है। जिससे प्रार्थीगण का यह प्रकरण प्रथम दृष्ट्या नहीं है। विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 2 के खाते दर्ज होने के कारण रिकोर्डेड खातेदारान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन और अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अतः स्वीकार योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। - 28/5/18	